वित्तीय बाजार आधारभूत संरचना के सिद्धांत एवं खुदरा भुगतान प्रणालियों में नवोन्मेष : कुछ परिदृश्य *

हारुन आर. खान

अतिथि वक्ताओं तथा विश्व भर के विख्यात प्रतिभागियों के बीच वित्तीय बाजार आधारभूत संरचना (पीएफएमआई) एवं खुदरा भुगतान प्रणालियों में नवोन्मेष विषय पर इस अंतरराष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन करने के लिए दिल्ली में होना खुशी की बात है। दिल्ली में बसंत ऋतु बहुत सुखकारी है और इसकी सुंदर छटा चहुंओर व्याप्त है। मुझे यकीन है कि प्रतिभागी गण दिल्ली की खूबसूरती का लुत्फ उठाएंगे और सेमीनार में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं समझता हूं कि सेमिनार की समाप्ति के बाद प्रतिभागियों के लिए विश्व विरासत, ताज महल की भव्यता देखने का अवसर होगा, जिसे इसकी शोभा और वैभव के लिए जाना जाता है। ताज महल प्रत्येक वर्ष लाखों पर्यटकों के दिलों को प्रभावित करता है और उनको प्रेम की शक्ति का स्मरण कराता है। ताज महल की तरह ही भुगतान प्रणाली भी इसमें होने वाले बहुत से नवोन्मेषों के माध्यम से अपने उत्पादों, सेवाओं, दक्षता और सुविधा के माध्यम से विश्व भर के लाखों लोगों को आकर्षित करती है। इस प्रणाली का महत्त्व इतना बढ़ गया है कि इसे अत्यधिक सावधानी और तत्परता पूर्वक विनियमित करना अनिवार्य हो गया है क्योंकि इसमें कोई भी चूक होने से वित्तीय क्षेत्र में अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। देश की भुगतान प्रणाली विभिन्न सुपुर्दगी माध्यमों, लिखतों और संस्थानों के माध्यम से प्रतिदिन लाखों लोगों को प्रभावित करता है। भारत में भी हम लोगों ने भुगतान प्रणाली की बहुत विशाल आधारभूत संरचना विकसित किया है जिसके 1.2 बिलियन लोगों की जरूरतों को पूरा करने की संभावना है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, बड़े मूल्य और खुदरा -दोनों भुगतान प्रणालियों का देश में विकास उसकी बैंकिंग और वित्तीय संरचना तथा गतिविधियों को ठीक करने के लिए विनियामक के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। हालांकि, भुगतान प्रणाली के विधिवत विकास करने के लिए नीति निर्धारित करते समय विनियामकों को प्रतिदिन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता ही है।

बड़े मूल्य की भुगतान प्रणालियों में चुनौतियां

2. हाल के संकट ने एक बार फिर से दक्ष और सुरक्षित वित्तीय संरचना की जरूरत को रेखांकित किया है। वित्तीय स्थिरता में योगदान करने वाली बड़े मूल्य की भुगतान प्रणालियां महत्त्वपूर्ण घटकों में से एक है। भुतान और निपटान प्रणाली समिति (सीपीएसएस) और प्रतिभूति आयोगों के अंतरराष्ट्रीय संगठन (आईओएससीओ) की तकनीकी समिति की विभिन्न पहलों का कारण वित्तीय बाजारों में बढ़ रहा जोखिम और अनिश्चितता है जो विशेषरूप से हाल के वित्तीय संकट के दौरान दिखाई दी। अपेक्षित होने पर दायित्वों को पूरा करने और अनिश्चितता और उतार-चढ़ाव के समय के दौरान चूक और असफलताओं के जोखिम के बिना लेनदेन सुचारू रूप से किए जाने के माध्यम से वित्तीय बाजार आधारभूत संरचनाएं समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं और प्रतिभागियों का विश्वास जीता है। फिर भी, चलनिनिधि और ऋण जोखिम जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मजबूत जोखिम प्रबंधन और अभिशासन की आवश्यकता को सभी साझेदारों ने महसूस किया है और इस भावना ने संकट से बचने के प्रयासों के रूप में वर्तमान मानकों की समीक्षा किए जाने को प्रेरित किया है। वित्तीय बाजार आधारभूत संरचनाओं से तात्पर्य प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण भुगतान प्रणालियां (एसआईपीएस), केंद्रीय प्रतिभूति निक्षेपागारों (सीएसडी), प्रतिभूति निपटान प्रणालियों (एसएसएस), केंद्रीय प्रतिपक्षकारों (सीसीपी) और व्यापार भंडारों (टीआर) (हाल ही में शामिल किया गया है) जैसी वित्तीय बाजार आधारभूत संरचनाओं से है, जो वित्तीय लेनदेनों को रिकार्ड करने, उनकी जांच करने तथा निपटान करने की सुविधा उपलब्ध कराती हैं। भुतान और निपटान प्रणाली समिति एवं प्रतिभूति आयोगों के अंतरराष्ट्रीय संगठन ने वित्तीय बाजार आधारभूत संरचनाओं के नए सिद्धांत प्रकाशित किया है जो उनके निम्नलिखित पुराने सिद्धांतों और मानकों का स्थान लेंगे - (i) प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण भुगतान प्रणालियों के मुख्य सिद्धांत (सीपीएसआईपीएस) (2001), (ii) प्रतिभूति निपटान प्रणालियों के लिए सिफारिशें (आरएसएसएस) (2001) तथा केंद्रीय प्रतिपक्षकारों के लिए सिफारिशें (आरसीसीपी) (2004)।

*14 फरवरी 2013 को नई दिल्ली में भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से वित्तीय बाजार आधारभूत संरचनाओं से संबंधित सिद्धांतों एवं खुदरा भुगतान प्रणालियों में नवोन्मेष के विषय पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री हारुन आर. खान द्वारा दिया गया उद्घाटन भाषण। भारतीय रिज़र्व बैंक के श्री सिमांचल साहू और श्री सुरजीत बोस के योगदान के प्रति वक्ता ने सधन्यवाद आभार व्यक्त किया है।

3. वर्तमान मानकों के स्थान पर आए इन 24 सिद्धांतों (पीएफएमआई/2011) में निम्नलिखित विशेषताएं शामिल हैं - (i) समाशोधन प्रतिभागियों की चूक पर कार्रवाई, (ii) प्रचालनगत जोखिमों से निपटना, (iii) पृथक्करण और सुवाह्यता से संबंधित सिद्धांत, (iv) स्तरबद्ध सहभागिता और (v) कारोबारी जोखिम पर कार्रवाई करना। संक्षेप में कहा जा सकता है कि नए सिद्धांत हाल के वित्तीय संकट से मिली सीख को दर्शाते हैं। विनियामकों को इन सिद्धांतों के साथ ही पांच निम्नलिखित जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं -

i. वित्तीय बाजार की संस्थाओं को केंद्रीय बैंक, बाजार के विनियामक अथवा संबंधित प्राधिकारी के समुचित विनियमन, पर्यवेक्षण और निगरानी के अधीन होना चाहिए।

ii. इन प्राधिकारियों के पास वित्तीय बाजार संस्थाओं के विनियमन करने, पर्यवेक्षण करने और निगरानी करने की अपनी जिम्मेदारियों के निर्वाह के लिए शक्तियां और संसाधन होने चाहिए।

iii. प्राधिकारियों को वित्तीय बाजार संस्थाओं के संबंध में अपनी विनियामी, पर्यवेक्षी और निगरानी संबंधी नीतियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित और घोषित करना चाहिए।

iv. प्राधिकारियों को वित्तीय बाजार संस्थाओं के संबंध में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत संबंधित सिद्धांतों को अपनाना चाहिए और उनका निरंतर प्रयोग करना चाहिए, तथा

v. वित्तीय बाजार संस्थाओं की सुरक्षा और दक्षता को बढ़ाने के लिए प्राधिकारियों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय -दोनों स्तरों पर एक दूसरे से सहयोग करना चाहिए।

जैसा कि हम देख रहे हैं, नए सिद्धांतों का ध्यान केंद्रण मुख्यरूप से उक्त जिम्मेदारियों के साथ ही प्रणालीगत जोखिम को नियंत्रित करके वित्तीय प्रणाली में दक्षता और सुरक्षा में सुधार लाना तथा पारदर्शिता और स्थिरता लाना है।

वित्तीय बाजार आधारभूत संरचनाओं के तहत आकलन प्रक्रिया और प्रकटीकरण ढांचा

4. भुगतान और निपटान प्रणाली समिति तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन ने वित्तीय बाजार आधारभूत संरचनाओं के संबंध में आकलन प्रक्रिया तथा वित्तीय बाजार संस्थाओं के प्रकटीकरण ढांचे का प्रकाशन भी किया है। आकलन प्रक्रिया का उद्देश्य वित्तीय बाजार संस्थाओं द्वारा 24 सिद्धांतों में से प्रत्येक का पालन किए जाने का आकलन करने और संबंधित प्राधिकारियों द्वारा पांच जिम्मेदारियों में से प्रत्येक का पालन किए जाने के लिए ढांचा उपलब्ध कराना है। इसलिए आकलन प्रक्रिया अनुपालन को प्रोत्साहित करने तथा सिद्धांतों और जिम्मेदारियों का अविरत पालन करने एवं सभी संबंधित क्षेत्राधिकारों में निष्पक्षता और तुलनीयता सुनिश्चित करने में मदद करने का एक उपाय है। आकलन प्रक्रिया प्राथमिक रूप से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाहरी आकलन कर्ताओं के लिए, विशेष रूप से विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यथा वित्तीय स्थिरता आकलन कार्यक्रम के अधीन आकलन (एफएसएपी जैसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के लिए है। यह राष्ट्रीय प्राधिकारियों को वित्तीय बाजार संस्थाओं को उनकी निगरानी/पर्यवेक्षण के अधीन लाने के लिए आधार रेखा भी उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय प्राधिकारियों को आकलन प्रक्रिया को उनके वर्तमान स्वरूप में प्रयोग करना चाहिए अथवा उनकी निगरानी/पर्यवेक्षण प्रक्रिया के लिए उसी के समान प्रभावी प्रक्रिया का विकास करना चाहिए।

5. प्रकटीकरण ढांचे में किसी वित्तीय बाजार संस्था से प्रतिभागियों और भावी प्रतिभागियों को पर्याप्त जानकारी प्रकट किए जाने की अपेक्षा की जाती है ताकि वे प्रणाली की रूपरेखा और कार्य-विधि, उनके अधिकारों और दायित्वों को समझ सकें तथा प्रणाली में सहभागिता करने की लागत और जोखिम को समझ सकें। जिस सूचना को सार्वजनिक रूप से प्रकट किया जाना चाहिए उसका दायरा संबंधित नियमों और प्रमुख कार्यप्रणाली से भी आगे होता है। इनमें वित्तीय बाजार संस्थाओं की कार्यप्रणालियों की बेहतर समझ को प्रोत्साहित करने और जिस बाजार में वे लागू होते हैं उनके प्रतिभागियों पर होने वाले प्रभाव को समझना भी शामिल होता है। इस प्रकार से प्रकटीकरण ढांचे का लक्ष्य कार्यप्रणालियों तथा जोखिम प्रबंध प्रणाली में पारदर्शिता लाना और विभिन्न क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत आने वाली वित्तीय बाजार संस्थाओं के बीच तुलना की सुविधा प्रदान करना होता है।

6. सच्ची भावना के साथ 24 सिद्धांतों और 5 जिम्मेदारियों को लागू करना वित्तीय बाजार संस्थाओं के समक्ष चुनौती है तथा विधिक प्रावधानों को मजबूत करना, आधारभूत संरचनाओं की उपलब्धता, जोखिम प्रबंध, चूक पर कार्रवाई करने की कार्यप्रणाली को स्थापित करना एवं वित्तीय बाजार संरचनाओं के लिए प्रभावी निगरानी प्रणाली स्थापित करना विनियामकों के लिए चुनौती है। इन सभी जिम्मेदारियों के लिए केंद्रीय बैंकों, वित्तीय बाजार संरचनाओं तथा अन्य विनियामकों के पास वित्तीय और मानव -दोनों संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। यह सेमिनार इस

महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में क्षमता बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक की पहलों का एक हिस्सा है।

खुदरा भुगतान प्रणालियों में चुनौतियां

7. आज खुदरा भुगतान प्रणाली में प्रौद्योगिकी में होने वाली महत्त्वपूर्ण खोजों के कारण लगातार होने वाले नवोन्मेषों का वर्चस्व है। नए उत्पादों और सुपुर्दगी माध्यमों की दृष्टि से इसके कारण बहुत से लाभ हुए हैं। साथ ही साथ इनके कारण विश्व भर के विनियामकों में चिंता भी उत्पन्न हो गई है। खुदरा भुगतान के क्षेत्र में इस प्रकार के नवोन्मेषों ने विनियामकों के लिए निम्नलिखित मुख्य क्षेत्रों में चुनौती पैदा कर दी है -

i. इन्टरनेट और मोबाइल फोन जैसी प्रौद्योगिकियों के बढ़ते प्रयोग के कारण उत्पादों और प्रक्रियाएं नवोन्मेषी किंतु जटिल हो गई हैं।

ii. उत्पादों में अंतर करना कठिन हो गया है क्योंकि बहुत से सुलभता माध्यमों तथा उपकरणों का परस्पर परिवर्तनीय प्रयोग बढ़ता जा रहा है (उदा. मोबाइल बैंकिंग और स्मार्ट फोनों -दोनों के माध्यम से इंटरनेट भुगतान)।

iii. भुगतान के क्षेत्र में गैर-बैंक भागीदारों का प्रवेश होने के कारण विनियामकों के लिए उनकी गतिविधियों की निरंतर निगरानी करने की जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि उनके कारण लागत और उपभोक्ताओं को दिए गए आश्वासन की दृष्टि से भुगतान प्रणाली में खतरा उत्पन्न हो सकता है।

iv. गैर-बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली भुगतान सेवाओं के मूल्य निर्धारण से संबंधित मुद्दा बड़ी चिंता का बन गया है।

v. प्रौद्योगिकी के प्रभुत्व वाले खुदरा भुगतान प्रणाली के अंतर्गत आने वाले उत्पादों की सुरक्षा का मुद्दा प्रयोगकर्ताओं के विश्वास को अक्सर चुनौती प्रस्तुत करता है।

vi. वित्तीय समावेशन के लिए किए जा रहे प्रयासों के संदर्भ में बैंक रहित क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं की सुलभता के विस्तार और कारोबारी मॉडल की निरंतरता के बीच समंजन चुनौती बन गया है।

vii. हाल के वित्तीय संकट में भुगतान प्रणालियों और वित्तीय स्थिरता के बीच संबंध होने का कोई मजबूत साक्ष्य दिखाई नहीं दिया है तथापि, वृद्धिशील भुगतान प्रणालियां, बड़े मूल्य और खुदरा -दोनों से संबंधित वित्तीय लेनदेनों के व्यापक रूप से इलेक्ट्रॉनिक मोड में चले जाने पर अस्थिरता का स्रोत बन सकती हैं जिसके कारण बहुत से परिचालनगत और वित्तीय जोखिम प्रारंभ होते हैं।

viii. चूंकि नवोन्मेष प्रौद्योगिकी प्रेरित होते हैं और खुदरा भुगतान प्रणाली में गतिविधियां तीव्र रही हैं, विनियमन तथा निगरानी का कार्य करने वाले केंद्रीय बैंकों तथा अन्य संस्थाओं के स्टॉफ की विशेषज्ञता एवं सामर्थ्य प्रमुख मुद्दे बन गए हैं जिनसे प्रभावी ढंग से निपटने आवश्यकता है।

8. इन चुनौतियों से निपटने के लिए नवोन्मेषी उपाय किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि, नवोन्मेषों को प्रोत्साहित करने अथवा रोकने की विनियामकों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षित और मजबूत भुगतान प्रणाली के संबंध में उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं को पूरा करने तथा भुगतान प्रणाली के प्रतिभागियों के कारोबारी हितों को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किए जाने हेतु नीतिगत वातावरण में सुधार करना महत्त्वपूर्ण है।

खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए वित्तीय बाजार आधारभूत संरचना का संदर्भ : 7-एस ढांचा

9. यह प्रश्न करना उचित है कि वित्तीय बाजार आधारभूत संरचना के 24 नए सिद्धांत खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए किस प्रकार से प्रासंगिक होंगे। इस समय खुदरा भुगतान प्रणाली से वित्तीय स्थिरता को खतरा नहीं है, तथापि प्रणाली में लोगों के भरोसे को बनाए रखने के लिए इस क्षेत्र में और अधिक जांच तथा निगरानी की आवश्यकता है। इस भरोसे का टूटना भुगतान प्रणाली के लिए विनाशकारी होगा जिसके कारण समष्टि आर्थिक चिंताएं उत्पन्न होंगी। ऐसा विशेषरूप से भारत जैसे देशों में हो सकता है जहां पर खुदरा भुगतान प्रणाली के विकास का लाभ लेते हुए वित्तीय समावेशन को और बढ़ाने के बहुत से कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उनकी तैयार की जा रही है। संभव है कि कोई यह सुझाव दे कि 'मुद्रा बाजार आधारभूत संरचना के सिद्धांतों का हल्का' ढांचा बैंक रहित/बैंकों की अपर्याप्त उपलब्धता वाली जनसंख्या के लिए सुरक्षित और मजबूत खुदरा भुगतान प्रणाली तथा सुलभ और वहन योग्य वित्तीय सेवाओं की आवश्यता के बीच संतुलन स्थापित करने की जरूरत को पूरा कर सकता है। यहां पर मैं निम्नलिखित सात मुद्दों को संक्षेप में चिह्नित करना चाहूंगा, जिनको 7-एस ढांचा कहा जा सकता है। 7-एस ढांचे के निम्नखित घटक हैं : स्ट्रक्चर (संरचना), सेफ्टी (सुरक्षा), सुटेबिलिटी (उपयुक्तता), स्टैंडर्ड (मानक), सेटलमेंट (निपटान), सस्टेनैबिलिटी (निरंतरता) एवं स्टैटजी (रणनीति)।

स्ट्रक्चर (संरचना)

10. निपटान की कुल राशि के बड़े मूल्य की भुगतान प्रणाली की तुलना में कम होने के बावजूद खुदरा भुगतान प्रणाली अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। खुदरा भुगतान बड़े भुगतानों से भिन्न होता है क्योंकि खुदरा भुगतान को आम आदमी के लिए सुलभ और वहन योग्य होना होता है। भुगतान प्रणाली की ऐसी आधारभूत संरचना के सृजन किए जाने की आवश्यकता है जो उपयोगकर्ताओं को नगद भुगतान का अथवा नगद भुगतान के समान अनुभव कराए ताकि उनको नगद के उपयोग की आदत से दूर ले जाया जा सके। इस हेतु अनुसंधान और विकास के लिए बहुत सारा निवेश किए जाने की तथा खुदरा भुगतान प्रणालियों की रूपरेखा तैयार करने के लिए हिस्सेदारों की आवश्यकताओं को समझने की जरूरत होगी। नियम और विनियम (पीएफएमआई का पहला सिद्धांत) तैयार करने के लिए विधिक समर्थन प्राप्त विनियामकों द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर खुदरा भुगतान सेवा प्रदाताओं पर भरोशा और अधिक बढ़ेगा। व्यापक वित्तीय प्रणाली में स्थिरता को सहारा प्रदान करने वाली और लोक कल्याण (पीएफएमआई का दूसरा सिद्धांत) का कार्य करने वाली विश्वसनीय और मजबूत खुदरा भुगतान प्रणालियों की स्थापना करने में अभिशासन की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है। बहुत से देशों की तरह, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के अंतर्गत भुगतान प्रणाली मे शामिल संस्थाओं के विनियमन और पर्यवेक्षण की वैधानिक शक्तियां भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदान की गई हैं। इससे रिज़र्व बैंक को देश में विधिवत भुगतान प्रणाली संरचना को प्रोत्साहित करने में मदद मिली है।

सेफ्टी (सुरक्षा)

11. खुदरा भुगतान प्रणाली की सुरक्षा और मजबूती सबसे महत्त्वपूर्ण होती है। सुरक्षा से प्रणाली में भरोसा मजबूत होता है। सुरक्षा के मूलभूत सिद्धांतों में से एक जोखिम और विभिन्न हिस्सेदारों की जिम्मेदारियों की पहचान करना तथा प्रभावी ढंग से उनका प्रबंध करना (पीएफएमआई का तीसरा सिद्धांत) है। खुदरा भुगतान प्रणाली के प्रतिभागियों और प्रचालनकर्ताओं के लिए ऋण (पीएफएमआई का चौथा सिद्धांत), संपार्श्विक (पीएफएमआई का पांचवां सिद्धांत), मार्जिन (छठवां सिद्धांत), तरलता (सातवां सिद्धांत), परिचालनात्मक (17वां सिद्धांत) और कारोबारी (पीएफएमआई का 15वां सिद्धांत) जोखिमों जैसे जोखिम प्रमुख चुनौती बने हुए हैं। विनियामक के रूप में हमें ऐसे ढांचे का निर्माण करने की जरूरत होती है जिसके अंतर्गत सभी हिस्सेदारों को खुदरा भुगतान प्रणालियों को स्वरूप प्रदान करने और उसे उपलब्ध कराने में सक्षम बनाएं, ताकि वे उक्त जोखिमों से निपट सकें। ऐसा विशेषरूप से नई प्रौद्योगिकियों और जटिल उत्पादों के आने के संदर्भ में किया जाना अपेक्षित है। भुगतान प्रणालियों में किसी गंभीर बाधा से बचने के लिए ऑन-लाइन/ऑफ-लाइन तरीकों तथा बाजार आसूचना का प्रयोग करते हुए विभिन्न जोखिमों का निरंतर आकलन करना चाहिए। खुदरा भुगतान प्रणाली की मजबूती विनियामकीय ढांचे तथा केंद्रीय बैंकों और विनियामकों की पर्यवेक्षी नीतियों का महत्त्वपूर्ण अंग बनी हुई है। देश की अर्थव्यवस्था और उत्पन्न होने वाली जरूरतों को उसकी सुरक्षित भुगतान प्रणाली के मजबूत सिद्धांतों से परे गए बिना नीतियों का उनके अनुरूप होना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विनियामकों की होती है। मजबूत कारोबारी निरंतरता योजना (बीसीपी) और आपदा उद्धार (डीआर) ढांचे की उपब्धता सुरक्षा का एक अन्य पहलू होगा ताकि महत्त्वपूर्ण भुगतान प्रणालियां मजबूत बनी रहें तथा बाधाओं से दक्षता पूर्वक निपट सकें।

सुटेबिलिटी (उपयुक्तता)

12. अपने देश में अन्य देशों में सफल भुगतान प्रणाली की प्रतिकृति करने पर काफी दबाव होने के बावजूद यह आवश्यक है कि देश के लिए उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया और उत्पादों को अपनी जरूरत के अनुसार तैयार करना आवश्यक है। इसमें, सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक विशेषताओं और विनियामक अपने क्षेत्राधिकारों में प्राधिकृत संस्थाओं के अलग-अलग भुगतान संबंधी उत्पादों के प्रभाव के आकलन करने के लिए विनियामकीय और संस्थागत स्थितियों का विशेष ध्यान रखा जाए जिनकी विनियामकों को जरूरत होती है, ताकि वे आम लोगों की जरूरतों को पूरा करें, वे जटिलताओं को समझें और उनमें उपभोक्ता संरक्षण के बारे में अंतर्निहित प्रावधान होने चाहिए (पीएफएमआई के सिद्धांत 21 और 23)। विनियामकों द्वारा स्थापित न्यूनतम मानकों को पूरा करने वाले खुदरा भगतान उत्पादों के मूल्यांकन और स्पष्टीकरण के लिए संस्थागत प्रणाली होनी चाहिए। विनियामकों के लिए उत्पादों की अधिकता और जिन प्रणालियों की निगरानी करना कठिन हो, उन पर नजर रखना भी आवश्यक है। उपयुक्तता का आकलन स्मार्ट (एसएमएआरटी) सिद्धांतों अर्थात, सिंपलीसिटी (सरलता), मैनेजिबिलिटी (प्रबंधनीयता), एक्सेबिलिटी (स्वीकार्यता), रिस्क कंट्रोल (जोखिम नियंत्रण) तथा ट्रांसपेरेंसी (पारदर्शिता) के दृष्टिकोण से किया जा सकता है।

स्टैंडर्ड (मानक)

13. प्रणाली के प्रतिभागियों, प्रणाली उपलब्ध कराने वालों और उपभोक्ताओं को बराबरी का स्थान उपलब्ध कराने के लिए मानकों और सिद्धांतों को तैयार किया जाना बहुत महत्त्वपूर्ण है। उपभोक्ता बाजार आधारभूत संरचना के सिद्धांत, बासेल III और आईएसओ जैसे मानक प्रतिभागियों और उद्योग के लिए बढ़िया कार्यप्रणाली तैयार करने में मदद करते हैं जो न्यूनतम मानदंड (बैंचमार्क) की तरह कार्य करते हैं। मानकों से विवेकी शक्तियां भी कम होती हैं जिनसे विवाद और पक्षपात कम होते हैं। मानक तय करते समय हमें उनके लागू किए जाने की व्यावहारिकता के बारे में संवेदनशील होने की जरूरत है। साझेदार जिन मानकों को पूरा न कर सकें ऐसे उच्च मानक तय करने से वे कागजों तक ही सीमित रह जाएंगे। इसके अलावा, मानकों को परिवर्तित होने वाली जरूरतों को पूरा करने के लिए लचीला होना चाहिए और नई भुगतान प्रणालियों के प्रवेश के लिए वे बाधा नहीं होने चाहिए। मानकों को अनुपालन की लागत भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अंततः यह उपभोक्ताओं को अंतरित होती है। खुदरा उपभोक्ता प्रणालियों पर लागू होने वाली चूक पर कार्रवाई तथा प्रतिभूति प्रक्रिया पर विनियामकों की नीति (पीएफएमआई का 13वां सिद्धांत) एक उदाहरण है जिसका प्रणाली के प्रतिभागियों पर लागत का प्रभाव पड़ा। इसलिए खुदरा भुगतान प्रणालियों में अंतर्निहित जोखिम को ध्यान में रखते हुए लागू किए जाने योग्य और मितव्ययी नियमों को निर्धारित करने और ऐसे मामलों पर व्यावहारिक रुख किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा, मानक तय करने वाली संस्थाएं होनी चाहिए जो उत्पादों, प्रणालियों और सेवाओं में निरंतर सुधार करने के लिए नियमित रूप से न्यूनतम मानक तय करें। विनियामकों को विभिन्न मानकों को स्थापित करने और कारोबारी वृद्धि तथा जोखिम प्रबंध की सुविधा प्रदान करने के लिए संस्थाओं को प्रोत्साहित करने में सक्रिय भूमिका का निर्वाह करने की जरूरत है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में धोखाधड़ी को न्यूनतम करने के लिए सभी क्षेत्राधिकारों में एक समान सुरक्षा मानकों की मांग भी जोरदार है। इस संबंध में एक मामला कार्ड रहित (सीएनपी) सभी लेनदेनों में प्राधिकृत करने वाले द्वितीय घटक की जरूरत नहीं होने के कारण अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट के दुरुपयोग से संबंधित धोखाधड़ी का है।

सेटलमेंट (निपटान)

14. खुदरा भुगतान में आस्थगित निवल भुगतान प्रक्रियाओं का वर्चस्व होने के कारण प्रतिभूतिकृत खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों की आवश्यकता है, जिससे सभी साझेदारों को आराम तथा आश्वासन मिलेगा। निवल भुगतान प्रणालियों की निपटान संबंधी विशेषताओं का वर्णन करने में निपटान की निश्चितता की धारणा का कभी-कभी प्रयोग किया जाता है। निश्चितता की धारणा से तात्पय उस निश्चितता से है जो प्रणाली के माध्यम से तब प्रभावी हो सकेगी जब नेटिंग चक्र और सहयोगी भुगतान प्रक्रियाएं पूर्ण हो जाएं। निपटान की निश्चितता का संबंध सबसे बड़े निवल नामे किए जाने की स्थिति में किसी प्रतिभागी अथवा एक से अधिक प्रतिभागियों के निपटान में अक्षम होने पर बहुपक्षी नेटिंग प्रणाली की दैनिक निपटानों को समय पर पूर्ण करना सुनिश्चित करने की क्षमता से है। मुद्रा बाजार आधारभूत संरचना के सिद्धांत निपटान जोखिम (पीएफएमआई का आठवां सिद्धांत) पर भी जोर देते हैं, जिसमें किसी वित्तीय बाजार संरचना की लेनदेन संबंधी गतिविधियों की निश्चयात्मकता के मौलिक मुद्दे की चर्चा की गई है। पीएफएमआई के नौवें सिद्धांत की तरह यह सिद्धांत खुदरा भुगतान प्रणालियों पर भी उसी तरह लागू होता है। नौवें सिद्धांत में केंद्रीय बैंक की मुद्रा का प्रयोग करते हुए निपटान किए जाने को प्रोत्साहित किया जाता है और जब निपटान के लिए किसी वाणिज्य बैंक का प्रयोग किया जाए तो ऋण एवं चलनिधि जोखिम पर कड़ाई से नियंत्रण होना चाहिए।

सस्टेनैबिलिटी (निरंतरता)

15. निरंतरता भुगतान प्रणाली के प्रतिभागियों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने वाली प्रणाली की दक्षता और प्रभावकारिता पर बहुत निर्भर करती है (पीएफएमआई का 21वां और 22वां सिद्धांत)। दक्षता मापन के तीन पैमाने, नामतः - लागत, समय और आश्वासन, हो सकते हैं। मितव्ययी होने का अर्थ अनिवार्यतः कम लागत पर उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करना नहीं होता है। इसको प्रणाली और सेवा प्रदाओं के लिए भी मितव्ययी होना चाहिए। यह हमेशा से विवाद का विषय रहा है कि मूल्य कौन, अर्थात विनियामक अथवा बाजार, तय करे। लागत का मुद्दा बाजार पर छोड़ देना ठीक प्रतीत होने के बावजूद यह, विशेषरूप से यह विकासशील देशों, जहां पर वित्तीय जानकारी के अभाव वाले लोगों की संख्या अधिक है और जहां पर भुगतान प्रणालियों का अभी उद्भव हो रहा है, हमेशा सत्य नहीं होता है। भारतीय संदर्भ में, भुगतान प्रणाली के विकास करने और उत्पादों के भी विकास करने में अक्सर विनियामक ही पहल करता है। इसलिए, विभिन्न सुपुर्दगी माध्यमों के द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए विनियामक इनके मूल्यों की अधिकतम सीमा निर्धारित कर देते हैं। उदाहरण के लिए भारत में जारी किए गए कार्डों की संख्या

काफी होने के बावजूद कार्ड आधारित लेनदेनों के बड़े पैमाने पर शुरू नहीं होने के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यापारियों की छूट दर को कम कर दिया है। विनियामकों को यह भी सुनिश्चित करना है कि सेवा प्रदाता, विशेषरूप से गैर-बैंक, स्वस्थ और मजबूत बने रहें ताकि वे भुगतान प्रणाली आधारभूत संरचना की सुलभता बढ़ा सकें। उपभोक्ता उनको समय पर सेवा उपलब्ध कराने वाली भुगतान प्रणाली की सुलभता की अपेक्षा करते हैं (पीएफएमआई का 18वां सिद्धांत)। इसलिए समय पर सेवा उपलब्ध कराने और सेवा प्रदाताओं द्वारा लगाए जाने वाले शुल्क के बीच संतुलन स्थापित किया जाना होगा। बड़ी अर्थव्यवस्था होने के कारण लागत कम से कम करने तथा समय पर सेवा सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकियों और साझा आधारभूत संरचना को प्रोत्साहित किया जाना है। दक्षता का तीसरा घटक आश्वासन है। खुदरा भुगतान प्रणाली के प्रयोग करने में सभी हिस्सेदारों को आश्वास्त होना चाहिए। खुदरा भुगतान प्रणाली में उपभोक्ताओं के हितों, विशेषरूप से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के वातावरण में, को संरक्षित करने की अंतर्निहित क्षमता होनी चाहिए। प्रयासों की दिशा धोखाधड़ी रहित प्रणाली और विश्वसनीय प्रतिपूर्ति प्रणालियों को तैयार करने की होनी चाहिए जो सभी हिस्सेदारों के भरोसे को बढ़ाएगी।

स्ट्रैटजी (रणनीति)

16. खुदरा भुगतान प्रणालियों के विनियामकों को पारदर्शी ढंग से लघु, मध्यम और दीघ अवधि की रणनीति तैयार करनी चाहिए (पीएफएमआई के सिद्धांत 23 एवं 24)। इससे सभी हिस्सेदारों को बिना किसी आश्चर्य के पहले ही खुद को तैयार करने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को अगले तीन वर्षों के लिए अपनी योजनाओं के विवरण देने हेतु 2012-15 के लिए भुगतान प्रणाली विजन दस्तावेज के रूप में रणनीति दस्तावेज जारी करना पड़ा। खुदरा भुगतान एक प्रमुख क्षेत्र है जिस पर विजन दस्तावेज में ध्यान केंद्रित किया गया है। विजन दस्तावेज की प्रमुख बात भारत में नगद-रहित समाज की शुरुआत करने के लिए अग्रसक्रिय होकर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को प्रोत्साहित करना तथा देश की भुगतान और निपटान प्रणालियों का सुरक्षित, दक्ष, परस्पर संचालनीय, प्राधिकृत, सुलभ, समावेशी और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होना सुनिश्चित करना है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने विजन दस्तावेज को अंतिम रूप देने से पहले सभी हिस्सेदारों से विचार-विमर्श किया ताकि लागू किए जाने की महत्त्वपूर्ण अवस्था के दौरान वे साथ में रहें। मुझे आपसे ऐसी एक रणनीति साझा करते हुए खुशी हो रही है जिसके कारण हम, सभी हिस्सेदारों के साथ, बहुत से कदम उठा पाए। रणनीति में बैंक स्टॉफ, प्रणाली प्रदाताओं, सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं जैसे हिस्सेदारों को भुगतान प्रणालियों के प्रयोग करने से संबंधित जोखिम और जिम्मेदारियों के बारे में संवेदनशील बनाया जाना शामिल है। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए टीवी, सोसियल मीडिया, समाचार पत्र, आउटरीच कार्यक्रमों और टाउनहाल बैठकों जैसे माध्यम सबसे बढ़िया उपाय हैं। स्कूल और महाविद्यालयीन विद्यार्थियों को उनके पाठ्यक्रमों अथवा परिचय कार्यक्रमों के माध्यम से संवेदनशील बनाए जाने की विशेष आवश्यकता है क्योंकि वे खुदरा भुगतान प्रणालियों के भविष्य के उपयोगकर्ता हैं। पेंशनर, गृहणियां और बैंक रहित लोग कमजोर समूह होते हैं जिनसे खुदरा भुगतान उत्पादों के प्रयोग के बारे में विशेषरूप से निपटना होगा। उदाहरण के तौर पर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए अलग-अलग इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पादों ई-बात (इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जागरुकता और प्रशिक्षण) नामक पहल की है।

उपसंहार

17. अंत में, मैं यह कहना चाहूंगा कि वित्तीय बाजार आधारभूत संरचना के नए सिद्धांतों को लागू करना हम सभी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए वित्तीय बाजार आधारभूत संरचना के महत्त्व के आकलन किए जाने की आवश्यकता है, जिसकी विशेषताएं व्यक्ति से व्यक्ति (पी 2 पी), सरकार से व्यक्ति (जी 2 पी) तथा ई-वाणिज्य लेनदेनों, लगातार नवोन्मेषों और बढ़ रही जटिलताओं, विशेषरूप से प्रौद्योगिकी प्रेरित उत्पादों और प्रक्रियाओं के संदर्भ से प्रकट होती हैं। उपभोक्ताओं की जरूरत को ध्यान में रखते हुए जो, विशेषरूप से वित्तीय रूप से अलग-थलग बने रहे लागों के लिए, सुलभ, समुचित और वहन योग्य वित्तीय सेवा उपलब्ध कराने हेतु सुरक्षित, दक्ष और मजबूत खुदरा प्रणालियों के लिए संभवतः 'पीएफएमआई का हल्का' उपागम ठीक रहेगा। मुझे यकीन है कि इस दो दिवसीय सेमिनार में प्रसिद्ध विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुतीकरणों और प्रतिभागियों के बीच सजीव संपर्क से वित्तीय बाजार आधारभूत संरचना के सिद्धांतों तथा खुदरा भुगतान प्रणाली जगत की जानकारी और बढ़ेगी। मुझे विश्वास है कि इस सेमिनार के माध्यम से प्रकट होने वाले विचारों/सुझावों से अपने क्षेत्राधिकारों में सुरक्षित और मजबूत भुगतान प्रणालियों को बढ़ावा देने में सभी हिस्सेदारों को किसी न किसी रूप में मदद मिलेगी। मैं कामना करता हूं कि भारत में सभी प्रतिभागियों का ठहरना आनंदपूर्ण होगा और सेमिनार की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं।

धैर्य पूर्वक सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद।